भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2807
17.12.2025 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड निधि के तहत विकास कार्य

2807. सुश्री कंगना रनौतः
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री दामोदर अग्रवालः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) निधि के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित विकास कार्यों के आलोक में स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यों के लिए विभिन्न स्वीकृतियां जारी करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त विकास कार्यों के लिए मंजूरी जारी करने में अत्यधिक विलंब होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अत्यधिक विलंब को रोकने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास एमपीलैड निधि के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों में अत्यधिक विलंब के कारण सरकारी राजस्व की हानि का आकलन करने की कोई योजना है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के अनुसार, सांसद द्वारा की गई सभी संस्तुतियों के संबंध में स्वीकृति/ अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को संस्तुतियों प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

(ख) और (ग) एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण किसी भी कार्य को स्वीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सक्षम अधिकारियों से सभी आवश्यक वैधानिक एवं विनियामक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं, कि कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और संबंधित उपयोगकर्ता

एजेंसी से एक लिखित वचन प्राप्त कर लिया गया है जिसमें प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन एवं रखरखाव लागत को अपने संसाधनों से वहन करने की उसकी तत्परता की पुष्टि की गई हो।

यह देखा गया है कि एमपीलैड योजना के तहत अनुशंसित कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलंब आमतौर पर अपूर्ण प्रस्तावों की प्रस्तुति, स्थानीय विवादों, भूमि की उपलब्धता या स्थल की व्यवहार्यता से संबंधित बाधाओं, वैधानिक स्वीकृतियों की आवश्यकताओं और जिला स्तर पर तकनीकी मुद्दों जैसे कारकों के कारण होता है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यों की समयबद्ध जांच, स्वीकृति और निष्पादन की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की होती है।

मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिला प्राधिकरणों के साथ तिमाही और मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है, जिसमें कार्यों की स्वीकृति और पूर्णता के संबंध में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन ना होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, और संबंधित पक्षों से सुधारात्मक कार्रवाई/ अनुपालन के लिए अनुरोध किया जाता है। निष्पक्ष निगरानी के लिए, लंबित कार्यों की रिपोर्ट राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाती है, जिसमें 45 दिनों से अधिक समय से स्वीकृति के लिए लंबित कार्यों, स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर पूरे न हुए कार्यों और स्वीकृति के तीन महीने के भीतर भुगतान न किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाता है।

जब भी मंत्रालय के संज्ञान में अत्यधिक विलंब के मामले लाए जाते हैं, तो संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों सरकार और जिला प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वे मामले की जांच करें और लागू सेवा नियमों के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करें।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। हालाँकि, मंत्रालय समय-समय पर एमपीलैड्स कार्यों का तृतीय-पक्ष वास्तविक मूल्यांकन करता है, ताकि योजना की दक्षता और प्रभाव का आकलन किया जा सके।
